रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1991/श्रावण 9, 1913
No. 283] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 1991/SRAVANA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1991

सा.का.नि. 514 (अ):– केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समान पारिश्रमिक केन्द्रीय सलाहकार समिति नियम, 1991 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं :– (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "समिति" से समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

3. समिति की संरचना :– अध्यक्ष को अपवर्जित करते हुए समिति में दस व्यक्तियों से कम और बीस व्यक्तियों से अधिक नहीं होंगें जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगें, जिनमें से आधी स्त्रियां होंगी । नामनिर्देशन संसद सदस्यों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों । संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों, नियोजक संघटनों, कर्मचारी संघटनों और महिलाश्रम के अध्ययन और कल्याण क्रियाकलापों में लगे गैर-सरकारी संघटनों के प्रतिनिधियों में से किया जाएगा । समिति की संरचना इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि पूर्वोक्त प्रवर्गों में से किसी का प्रतिनिधि समिति में सम्मलित नहीं किया गया है ।

4. समिति के सदस्यों की पदावधि :– (1) इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है, उसके सिवाए समिति

में गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि उसके नामनिर्देशन से दो वर्ष होगी :

परन्तु ऐसा सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि के अवसान होने पर भी पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का नामनिर्देशन नहीं हो जाता ।

(2) आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए नामनिर्दिष्ट समिति का कोई गैर-सरकारी सदस्य, जिस सदस्य के स्थान पर उसका नामनिर्देशन किया गया है की पदावधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(3) समिति का सरकारी सदस्य केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा ।

5. सदस्यों के भत्ते :— (1) सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता उसके द्वारा पदीय कर्तव्यों के लिए की गई यात्रा को लागू नियमों द्वारा शासित होगा और उसको वेतन संदाय करने वाले प्राधिकरण द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(2) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता उस दर से संदाय किया जाएगा जो कि केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय है और दैनिक भत्तों की गणना अपने अपने स्थानों में केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को अनुज्ञेय अधिकतम दर से की जाएगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति :— यदि समिति का कोई सदस्य, जो समिति का पदेन सदस्य नहीं है, अध्यक्ष से ऐसी अनुपस्थिति के लिए छुट्टी लिए बिना तीन लगातार बैठकों में हाजिर होने में असफल रहता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा :

परन्तु, यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि उक्त सदस्य ऐसी छुट्टी लिए बिना समिति की तीन लगातार बैठकों में हाजिर रहने के लिए पर्याप्त कारण से निवारित था तो वह उक्त सदस्यता की समाप्ति प्रभाव में न आने के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसा निदेश दिए जाने पर उक्त सदस्य समिति का सदस्य बना रहेगा ।

7. सदस्यता के लिए निरर्हताएं :—(1) जो व्यक्ति—

(i) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, अथवा

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया है, अथवा

(iii) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, वह समिति का सदस्य के रूप में नामांकित या सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कि क्या उप-नियम (1) के अन्तर्गत निरर्हता उपगत हो गई है, उसका विनिश्चय केन्द्रीय सरकार करेगी ।

[फा.सं. एस. 27011/1/89 महिला प्रकोष्ठ]
शर्मा जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 1991

G.S.R. 514(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—(a) "Committee" means the Central Advisory Committee constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Committee.

3. Composition of the Committee.—The Committee shall consist of not less than ten persons and not more than twenty persons excluding the Chairman, to be nominated by the Central Government, of which one-half shall be women. Nomination shall be made from amongst the representatives of the Central Government, State Governments|Union Territory Administrations, Members of Parliament, Employers 'Organisations, Employees' Organisations and Non-Governmental Organisations engaged in the study and welfare activities of women labour. The composition of the Committee shall not be invalid for the reason that representative belonging to any of the aforesaid categories has not been included in the Committee.

4. Term of office of members of the Committee.—(1) Save as otherwise expressly provided in these rules, the term of office of a non-official member of the Committee shall be two years from the date of his nomination :

Provided that such member shall, notwithstanding the expiry of the said period of two years, continue to hold office until his successor is nominated.

(2) A non-official member of the Committee nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remainder period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Committee shall hold office during the pleasure of the Central Government.

5. Allowances of members.—(1) The travelling allowances of an official member shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) The non-official members of the Committee shall be paid travelling allowance for attending the meeting of the Committee, at such rates as are admissible to Group 'A' officers of the Central Government and daily allowances shall be calculated at the maximum rate admissible to Group 'A' officers of the Central Government in their respective places.

6. Cessation of membership.—If any member of the Committee not being an ex-officio member of the Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee, without obtaining the leave of the Chairman for such absence, he shall cease to be a member of the Committee.

Provided that the Chairman may, if he is satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending three consecutive meetings of the Committee without obtaining such leave, direct that such cessation shall not take place and on such direction being made, such member shall continue to be member of the Committee.

7. Disqualification for membership.—(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being, a member of the Committee if he—

(i) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(ii) is an undischarged insolvent; or

(iii) has been or is convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude.

(2) If a question arises as to whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the Central Government shall decide the same.

[File No. S-27011|1|89-Women's Cell]

SHASHI JAIN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991